

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 25/4/2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 25,11,00,000/- (पचीस करोड़ ग्यारह लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 25,11,00,000/- (पचीस करोड़ ग्यारह लाख रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

कृ०पृ०उ०

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-

2017

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 25,11,00,000/- (पचीस करोड़ ग्यारह लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 25,11,00,000/- (पचीस करोड़ ग्यारह लाख रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. **संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।**
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

अनु0:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-


(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-03/2017 सा0-.....⁴ /

पटना, दिनांक- 25/4/2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य
स्थापनाएं-0001-अनुमण्डलीय स्थापना) आवंटन:-

पृष्ठ-1/2

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन मत्ता	मकान किराया मत्ता	चिकित्सा मत्ता	अन्य मत्ता	योग-वेतन एवं मत्ते	यात्रा व्यय
	कूट संख्या-	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07		11 01
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	95,00,000	100,00,000	1,50,000	1,40,000	17,000	198,07,000	17,000
2	भोजपुर	32,00,000	40,00,000	1,30,000	80,000	12,000	74,22,000	10,000
3	बक्सर	28,00,000	35,00,000	1,00,000	80,000	12,000	64,92,000	15,000
4	रोहतास	33,00,000	40,00,000	1,00,000	80,000	12,000	74,92,000	15,000
5	कैमूर(सम्मुआ)	33,00,000	25,00,000	1,00,000	80,000	12,000	59,92,000	17,000
6	नालन्दा	33,00,000	26,00,000	1,00,000	1,00,000	13,000	61,13,000	17,000
7	गया	33,00,000	26,00,000	1,00,000	1,00,000	16,000	61,16,000	17,000
8	नवादा	23,00,000	29,00,000	90,000	80,000	12,000	53,82,000	9,000
9	जहानाबाद	23,00,000	29,00,000	90,000	80,000	12,000	53,82,000	17,000
10	औरंगाबाद	23,00,000	29,00,000	90,000	80,000	12,000	53,82,000	12,000
11	अरवल	13,00,000	19,00,000	80,000	80,000	12,000	33,72,000	17,000
12	मुजफ्फरपुर	38,00,000	44,00,000	90,000	1,40,000	16,000	84,46,000	10,000
13	सीतामढ़ी	28,00,000	34,00,000	90,000	80,000	13,000	63,83,000	17,000
14	पूंचम्पारण	33,00,000	39,00,000	90,000	80,000	13,000	73,83,000	17,000
15	पंचम्पारण	33,00,000	39,00,000	90,000	80,000	13,000	73,83,000	12,000
16	शिवहर	13,00,000	19,00,000	80,000	70,000	13,000	33,63,000	12,000
17	वैशाली	28,00,000	34,00,000	90,000	80,000	13,000	63,83,000	17,000
18	दरभंगा	33,00,000	39,00,000	90,000	1,00,000	16,000	74,06,000	17,000
19	मधुबनी	33,00,000	39,00,000	90,000	80,000	13,000	73,83,000	12,000
20	समस्तीपुर	33,00,000	39,00,000	90,000	80,000	13,000	73,83,000	17,000
21	सारण	33,00,000	39,00,000	90,000	1,00,000	15,000	74,05,000	10,000
22	सिवान	18,00,000	25,00,000	80,000	80,000	13,000	44,73,000	15,000
23	गोपालगंज	23,00,000	29,00,000	90,000	80,000	13,000	53,83,000	10,000
24	भागलपुर	33,00,000	39,00,000	90,000	1,00,000	15,000	74,05,000	14,000
25	बांका	18,00,000	25,00,000	80,000	70,000	12,000	44,62,000	10,000
26	मुंगेर	23,00,000	29,00,000	80,000	1,00,000	15,000	53,95,000	12,000
27	लखीसराय	13,00,000	19,00,000	80,000	80,000	13,000	33,73,000	12,000
28	शेखपुरा	13,00,000	19,00,000	80,000	80,000	13,000	33,73,000	12,000
29	जमुई	13,00,000	19,00,000	80,000	80,000	13,000	33,73,000	10,000
30	खगड़िया	23,00,000	29,00,000	80,000	80,000	13,000	53,73,000	12,000
31	बेगूसराय	23,00,000	29,00,000	80,000	80,000	13,000	53,73,000	10,000
32	पूर्णियाँ	23,00,000	30,00,000	80,000	1,00,000	15,000	54,95,000	12,000
33	कटिहार	18,00,000	25,00,000	80,000	80,000	12,000	44,72,000	10,000
34	अररिया	13,00,000	20,00,000	80,000	80,000	12,000	34,72,000	10,000
35	किशनगंज	13,00,000	20,00,000	80,000	80,000	12,000	34,72,000	10,000
36	सहरसा	23,00,000	30,00,000	80,000	1,00,000	12,000	54,92,000	10,000
37	मधेपुरा	18,00,000	25,00,000	80,000	80,000	12,000	44,72,000	10,000
38	सुपौल	18,00,000	25,00,000	80,000	80,000	12,000	44,72,000	17,000
	कुल योग -	1000,00,000	1200,00,000	34,00,000	33,00,000	5,00,000	2272,00,000	5,00,000

contd....

50

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य
स्थापनाएं-0001-अनुमण्डलीय स्थापना) आवंटन:-

पृष्ठ-2/2

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	वर्दी/ पोशाक	संविदा सेवाएँ	कुल
	कूट संख्या-	13 01	13 02	13 03	13 04	13 06	28 02	
		10	11	12	13	14	15	16
1	पटना	4,00,000	3,00,000	1,00,000	1,50,000	13,000	2,00,000	209,87,000
2	मोजपुर	2,00,000	1,50,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	81,05,000
3	बक्सर	2,00,000	1,50,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	71,80,000
4	रोहतास	1,00,000	1,50,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	80,80,000
5	कैमूर(ममुआ)	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	2,00,000	65,82,000
6	नालन्दा	3,00,000	1,50,000	30,000	1,40,000	13,000	2,00,000	69,63,000
7	गया	3,00,000	2,00,000	50,000	1,50,000	13,000	1,50,000	69,96,000
8	नवादा	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	59,14,000
9	जहानाबाद	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	59,22,000
10	औरंगाबाद	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	59,17,000
11	अरवल	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,00,000	38,62,000
12	मुजफ्फरपुर	2,00,000	1,40,000	50,000	1,50,000	13,000	2,00,000	92,09,000
13	सीतामढ़ी	2,00,000	1,40,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	70,63,000
14	पूंचम्पारण	2,00,000	1,40,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	80,63,000
15	पठचम्पारण	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	79,18,000
16	शिवहर	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,00,000	38,48,000
17	वैशाली	2,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,00,000	69,73,000
18	दरभंगा	2,00,000	2,50,000	50,000	1,40,000	13,000	2,00,000	82,76,000
19	मधुबनी	1,50,000	1,00,000	30,000	1,50,000	13,000	1,50,000	79,88,000
20	समस्तीपुर	2,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	80,23,000
21	सारण	2,00,000	1,50,000	50,000	1,40,000	13,000	1,50,000	81,18,000
22	सिवान	2,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	51,11,000
23	गोपालगंज	2,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,50,000	60,16,000
24	भागलपुर	3,00,000	1,50,000	50,000	1,40,000	13,000	2,00,000	82,72,000
25	बांका	1,50,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,00,000	49,95,000
26	मुंगेर	2,00,000	1,00,000	80,000	1,40,000	13,000	2,00,000	61,40,000
27	लखीसराय	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,00,000	38,58,000
28	शेखपुरा	1,00,000	30,000	30,000	1,30,000	13,000	1,00,000	37,88,000
29	जमुई	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,20,000	38,76,000
30	खगड़िया	2,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,20,000	59,78,000
31	बेगूसराय	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,20,000	58,76,000
32	पूर्णियाँ	2,00,000	1,00,000	50,000	1,40,000	13,000	2,00,000	62,10,000
33	कटिहार	1,00,000	1,00,000	30,000	1,40,000	13,000	1,50,000	50,15,000
34	अररिया	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,00,000	39,55,000
35	किशनगंज	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	13,000	1,00,000	39,55,000
36	सहरसा	1,00,000	1,00,000	50,000	1,40,000	15,000	2,00,000	61,07,000
37	मधेपुरा	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	15,000	1,20,000	49,77,000
38	सुपौल	1,00,000	1,00,000	30,000	1,30,000	15,000	1,20,000	49,84,000
	कुल योग -	62,00,000	46,00,000	14,00,000	51,00,000	5,00,000	56,00,000	2511,00,000

(पचीस करोड़ ग्यारह लाख रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग